

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

उल्लंघन पत्र रजि. ए.डी. / स्पीड पोस्ट / ई—मेल / फैक्स

द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर, पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र0- छग0 / दुर्ग / चू0प0-41 / रायपुर

खान कोडः 38 छ०ग० 05003

दिनांक:- 28 / 08 / 2019

प्रति,

श्री फिलिप मैथ्यू, चीफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफिसर एवं नॉमिनेटेड ऑनर मेसर्स सिंघानियाँ मिनरल्स, प्राइवेट लिमिटेड ए०सी०सी० लिमिटेड, सीमेंट हाउस, 121, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)-400020

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी मेडेसरा चूनापत्थर खदान 17.90 है0 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय.

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08/08/2019 को श्री पी0 पी० पाण्डेय, डी०जी०एम० (माईन्स) एवं श्री संजय कुमार शर्मा, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

- 		
नियम		उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule	11	The following deviations have been found in the mine from approved Modified Mining Plan vide
(1)		letter no. DRG/LST/MPLN-749/NGP/2016/23RPR Raipur dated 27/07/2016 for the period of
		2016-17 to 2020-21 (applicable up to F.Y. 2018-19) and Modified Mining Plan vide letter no.
		DRG/LST/MPLN-1180/2018/RPR Raipur dated 11/12/2018 for the period of 2019-20 to 2020-21:
		Development: There was a proposal given for development and excavation of mineral/ore
		During F.Y. 2018-19:
		2018-19: In-between local co-ordinates
		(1) S310 to S390 and E85 to E180 with RL 279 to RL 276
		(2) S125 to S230 and E140 to E265 wit RL 278 to RL 275
		2019-20: In between UTM Co-ordinates:
		(1) N2363970 to N2364120 and E539600 to E539666
		(2) N2364086 to N2364136 and E539636 to E539690
		(3) N2364150 to N2364260 and E539620 to E539730
		Whereas,
		2018-19 and 2019-20:
		(1) Production and development was done all over the quarry in irregular and un-scientific manner.
		(2) Along lease boundary pillar no. 18 to pillar no. 25, the quarry has been extended beyond
		mining lease area and 7.5 m barrier zone has been mined out.
		(3) Along lease boundary pillar no. 48 to pillar no. 52, the quarry has been extended beyond
		mining lease area and 7.5 m barrier zone has been mined out.
		<u>Backfilling:</u> There was a proposal given for backfilling at 7.5 meter barrier zone along lease
		boundary pillar no. 22 to 24 and 31 to 34 up to 2.5 meter to 3.0 meter height. Whereas, backfilling
		is being done along boundary pillar no. 22 to 24 so far.
		Afforestation: There was a proposal given for plantation of 1600 nos. of plants during 2016-17 to
		2017-18. Whereas, 890 nos. of the plants have been planted.
Rule	45	Annual Return 2018-19:
(7)		Part IIA: Capital Structure
		Value of Fixed Assets (in ₹) 1952133.00 has been given similar to the another mining lease i.e.
		38CHG05005 (8.80 Ha.).
		Part VI: Production, Dispatches And Stock
		3. (i) Since the mineral is not pulverised within lease area, hence, the Average cost of
		Pulverization may not be given.
		5. For captive use of mineral/ore, Sale value should be mentioned as 'Zero'.

नियम		उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule	45	Part VII: Cost of Production:
(7)		(i) For computation of cost of production, cost of transportation from mining lease up to the captive plant should not be added.
		(ii) Value of Depreciation is similar for both mining leases i.e. (38CHG05005 & 38CHG05003)
Rule 55		Full-time Mining Engineer and a Geologist are not been appointed.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत
 - (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ हेतु :-

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)—440001
- 2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
- 3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4. श्री वैभव दीक्षित, निदेशक (प्लान्ट) एवं ऐजेन्ट (माईन्स), ए०सी०सी० लिमिटेड, जामुल सीमेन्ट वर्क्स, जामुल, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ०ग०)—490024.

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर